

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संख्या :- 1/370/प्र. - 12-27/2006-8123,

/पटना, दिनांक 10-12-07

पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 9689 दिनांक 04.11.81, 113 दिनांक 07.01.91 एवं ज्ञापांक 837 दिनांक 25.05.04 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 को जन साधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित की जाती है।

नियम

- 1 (i) यह बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 कहलायेगी।
(ii) यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. टिकेदारों को पथों एवं पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :-
श्रेणी 1 : किसी भी राशि तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
श्रेणी 2 : 35 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
श्रेणी 3 : 70 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :-
श्रेणी 1 : 2.00 लाख रुपये
श्रेणी 2 : 1.00 लाख रुपये
श्रेणी 3 : 25 हजार रुपये
4. (क) निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान निम्न श्रेणी में निबंधित संवेदक यदि चाहें तो उच्च श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।
(ख) अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्यून कोई पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे एवं पद रिक्त होने की स्थिति में इनसे वरीय पदाधिकारी निबंधन पदाधिकारी होंगे।

१

- (ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग एवं इसके अभिकरण द्वारा कार्यान्वित योजनाओं हतु सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी निविदा डालने के लिये सक्षम होंगे।
- (घ) श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 में निबंधित संवेदक अपनी श्रेणी के अतिरिक्त निकटतम एक निम्न श्रेणी में निविदा डालने के लिए सक्षम होंगे।
5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करने होंगे :-
- (क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र
- (ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति
- (ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof)
- (घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्रपट " अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना" के पक्ष में देय तथा पटना में भुगतये हो।
- (च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉ की प्रति।
6. सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, बिहार सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संवेदकों की रवीकृत सूची से हटाये गये अथवा कालीकृत किये गये व्यक्ति, पदावनत किये गये संवेदक, निलंबित सरकारी सेवक एवं न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति के किसी फर्म के सदस्य एवं व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में उनका निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।
7. नवीकरण :- पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।
8. नवीकरण हेतु आवेदन देने के लिए अनुग्रह अवधि निबंधन समाप्ति की तिथि से एक माह तक होगी। इस अनुग्रह अवधि मात्र में संवेदक निविदा देने के हकदार होंगे।
9. (क) ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न श्रेणी में निबंधित ठेकेदारों के संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नई नियमावली के अन्तर्गत निबंधन करा लेना होगा अन्यथा उनके पुराने निबंधन एवं नवीनीकरण को अमान्य कर दिया जायेगा। पुराने निबंधन के लिए जमा की गई शुल्क राशि की छूट नए शुल्क में दी जायेगी। उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की शर्तों को पूरा करें।

(ख) जिन संवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अन्तर्गत निबंधन/नवीनीकरण हेतु आवेदन लम्बित है, उनके द्वारा संशोधित नियमावली के जिस श्रेणी में निबंधन/नवीनीकरण कराना चाहते हो उस श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गयी चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा।

(ग) ग्रामीण कार्य विभाग में पूर्व से निबंधित संवेदक इस नियमावली की कंडिका 9 (क) अन्तर्गत पुनर्निबंधित होने तक पूर्व की श्रेणी के लिये निर्धारित अधिकतम निविदा राशि तक निविदा दाखिल करने के लिए सक्षम होंगे।

10. आवेदन पत्र :- इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट-'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट-'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

11. काली सूची तथा निलंबन :-

(क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निबंधित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलंबित किया जा सकेगा अथवा अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में पदावनत (Demote) किया जा सकेगा :-

- (i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।
- (ii) निविदा कागजातों की प्राप्ति, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।
- (iii) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।
- (iv) सोची-समझी साजिश के तहत संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।
- (v) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।
- (vi) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।

- (vii) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।
- (viii) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।
- (ix) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।
- (x) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायपत्ता होने पर।
- (xi) ऐसे अंचल में निविदा दाखिल करना जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है—पति/पत्नी, माता/पिता, भाई अथवा बहन।
- (xii) राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाले जाने पर।

(ख) (i) कंडिका 11 (क) में उल्लेखित किसी भी व्यक्ति के कंडिका 11 (क) की (i) से (V) तक में वर्णित किसी भी कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित संवेदक के निबंधन को अधिकतम दो वर्ष के लिए निलंबित अथवा एक श्रेणी नीचे में सदैव के लिए पदावनत किया जा सकेगा। कंडिका 11 (क) की (i) से (V) तक में विर्णित कदाचार में एक से अधिक मामले में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित संवेदक को काली सूची में डाला जा सकेगा।

(ii) कंडिका 11 (क) में उल्लेखित किसी भी व्यक्ति के 11 (क) की (Vi) से (Xi) तक में वर्णित किसी भी कदाचार में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित संवेदक को काली सूची में डाला जा सकेगा।

(ग) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा पदावनत (Demote) करने अथवा निलंबन करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

१

✓

(घ) काली सूची में डालने, पदावनत (Demote) करने का आदेश/निलंबन का आदेश संबंधित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

(ङ) दिये गये दण्ड के विरुद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त एवं राचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

12. यदि कार्य आवंटन के बाद किसी संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं किया जाता है तो उसे उसी कार्य हेतु आमंत्रित अगली निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
13. एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन के लिये नया निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
14. निबंधन में अंकित "पावर ऑफ एटारनी" में परिवर्तन की स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही निविदा में इसकी मान्यता दी जायेगी।
15. निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।